

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
भूमि एवं भवन विभाग  
विकास भवन, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

### अधिसूचना

दिनांक ..... 2023

फा० सं० ९(३४) / भूमि एवं भवन / भू०अधि० / 2023 / : गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2740 (ई), दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन, अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (१) द्वारा प्रदत्त शवित्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को, जिसे दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना सं० फा० ८(२) / ९ / २०१५ / भूमि एवं भवन / भू०अधि० / 2373 द्वारा चिह्नित किया गया था, भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दक्षिण राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सङ्क के निर्माण हेतु जन प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखती है।

यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

  
(अशोक कुमार यादव )  
उप-सचिव (भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फार्म सं० ९(३४) / भूमि एवं भवन / भूमिका / २०२३ / ७८४६ - ५६

दिनांक ०६/१२/२०२३

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः-

१. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजनिवास, दिल्ली-११००५४
२. विषेश कार्यालयिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पांचवा-तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-११०००२
३. सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-११०००२ (प्रतिलिपि में) को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
४. निजी सचिव, मण्डलीय आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ५, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-११००५४
५. निजी सचिव,, अपर मुख्य सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली-११०००२
६. जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय-१), राजस्व विभाग, ५, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-११००५४
७. जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), एम.वी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-११००६८
८. निदेशक (एलएम), डी.डी.ए., विकास सदन, नई दिल्ली-११००२३
९. प्रोफेसर के.के. पाण्डेय, संयोजक, (सीयूएस), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली ११०००२
१०. अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण), एम.वी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-११००६८
११. प्रणाली विश्लेषक (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(अशोक कुमार यादव)  
उप-सचिव (भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार